यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रूटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी** के माह 09/2015 से 11/2017 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, एवं **प्रतांशु कुमार श्रीवास्तव** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 28.12.2017 से 01.01.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः– पछले लेखा परीक्षा की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण उस से संबन्धित सूचना प्राप्त नहीं हो सका।**
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 11/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**
   इकाई द्वारा जनपद मे च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचा लत योजनाओं के अंतर्गत उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूलभूत स्वास्थ्य सु वधाओं की ब्यवस्था, च कत्सालय मे रो गयों को निःशुल्क उपचार, औषधी क्रय एवं वतरण तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सु वधाए उपलब्ध कराया जाता है।
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	574.65	530.19	42.60	35.45	–	44.46	–	7.15
2016–17	–	–	633.21	540.93	0	0	'–	92.28	–	0
2017–18 (10/2017 तक)	–	–	823.74	666.26	0	0	–	157.48	–	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	एन0एच0एम0, आई0डी0एस0पी0, एन0एल0ई0पी0, एन0टी0सी0पी0 इत्यादि	0.42	1.80	0	–	2.22
2016–17		2.22	27.73	25.67	–	4.28
2017–18 (10/2017 तक)		4.28	3.14	4.74	–	2.68

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"सी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

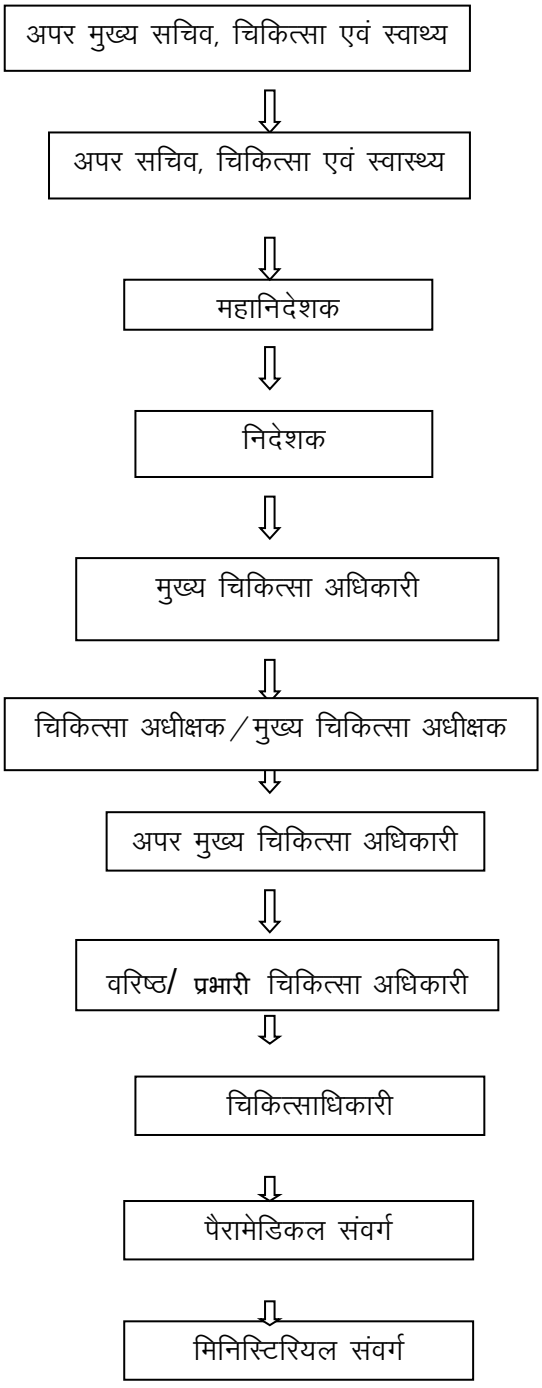

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को अधिकतम **(सीपीएस)** व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत रु. 28.16 लाख की हानि **(loss)** एवं ₹ 1.10 लाख का अर्थदण्ड **(penalty)** नहीं लगाए जाने के साथ ही रु. 0.92 लाख का यात्रा लाभ मरीजों को नही दिया जाना।

शासनादेश संख्या-100/XXVIII-4-2015-58/2014T.C. के माध्यम से उत्तराखंड राज्य मे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारम्भ दिनांक 26 जनवरी 2015 से हुआ। इस योजना के क्रयान्वयन हेतु जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी, एमडीआई इं डया हेल्थ केयर (थर्ड पार्टी प्रशासक) एवं बीमा कंपनियों (i) यूनाइटेड इं डया इन्श्योरेंस कंपनी ल मटेड, चेन्नई एवं (ii) बजाज ए लयांज इन्श्योरेंस कंपनी ल मटेड, पूना के मध्य बी मत स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु सम्झौता ज्ञापन[1] कया गया।

कार्यालय प्रमुख च कत्सा अधीक्षक एवं बजाज ए लयांज इन्श्योरेंस कंपनी ल मटेड, पूना के मध्य हुए सम्झौता ज्ञापन के अनुसार-

(i) यदि निर्धारित समयाव ध मे बीमा कंपनी द्वारा कोई उ चत प्री)आथराइजेशन क्वेरी-query) नहीं की जाती है, तो उसके बाद बीमा आच्छादित समयाव ध के अंतर्गत कए गए क्लेम के सापेक्ष कंपनी द्वारा बीमा की पूर्ण रा श देय होगी)5.3]e)]।

(ii) न्यूनतम रु प्रति प्रकरण यात्रा लाभ देय होगा जो क अ धकतम दस बार तक दिया -/100 . जायेगा ।[6.6]

(iii) हस्पताल मे भर्ती के दिन पहले एवं ड 15स्चार्ज होने के दिन बाद तक कए गए देखभाल 30 हेतु ब्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) दस दिन से तीस के अंदर प्राप्त सभी दावों का भुगतान करना होगा)14]a)]।

(v) यदि उ चत क्वेरी)query) के आधार पर बीमा कंपनी के द्वारा दिन के अंदर दावों को 15 अस्वीकार नहीं कया गया है, तो उस क्लेम का अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा)14]d)]।

(vi) यदि बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार कए गए क्लेम का दिन के अंदर नहीं कया 15 भुगतान -जाता है तो निम्न ल खत दर के अनुसार बीमा कंपनी पर अर्थदण्ड आरो पत होगा

वलंब की अव ध	अर्थदण्ड की दर
प्रथम दिन के वलंब के लए 15	@0.5% देय बी मत रा श का
अगले दिन के वलंब के लए 15	@ %0.75देय बी मत रा श का
अगले माह के वलंब के लए 1	@1.00 % देय बी मत रा श का

कार्यालय प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, उत्तरकाशी के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) से संबन्धित लेखा-अ भलखों की नमूना जांच मे पाया गया क बजाज ए लयांज इन्श्योरेंस कंपनी ल मटेड, पूना द्वारा बीमा आच्छादित अव ध 01.08.2016 से 31.07.2017 के दौरान 701 दावों के सापेक्ष 53.50 लाख एवं 01.08.2017 से 09.11.2017 के दौरान 214 दावों के सापेक्ष रु. 11.81 लाख की रा श का दावा कार्यालय द्वारा कया गया था। कुल रु. 65.31 लाख के दावों के सापेक्ष बीमा कंपनी द्वारा रु. 37.15 लाख का भुगतान कया गया था। इस प्रकार रु. 28.16 लाख का दावा बीमा कंपनी से

[1] यूनाइटेड इं डया इन्स्योरेंश कंपनी ल मटेड, चेन्नई तक एवं बजाज ए लयांज 31.07.2016 से 01.04.2015 इन्स्योरेंश कंपनी ल मटेड, पूना तक 31.07.2017 से 01.08.2016

अप्राप्त रहा। एमएसबीवाई से संबन्धित पत्रावली के अवलोकन से वदित हुआ की टीपीए द्वारा दावों की रा श की गणना करते समय कई पैकेजेज़ को शा मल नहीं कया गया और अनावश्यक क्वेरी लगा कर प्रतिपूर्ति के दावों को खारिज कया जाता रहा।

लेखा-परीक्षा नमूना जांच मे पाया गया क बीमा प्रतिपूर्ति के पैकेजेज़ की गणना करते समय उपरोक्त व र्णत बिन्दु संख्या (ii), (iii) एवं (vi) का संज्ञान नहीं लेने का कारण कार्यालय द्वारा क्लेम कए गए दावों की रा श वास्त वक प्रतिपूर्ति की रा श से कम थी, जिनकी गणना निम्नवत है-

यात्रा लाभः च कत्सालय तक आने जाने हेतु रु. 100/- की दर से प्रति रोगी रु. 200/- का यात्रा लाभ दिया जाना चाहिए था।

915 X Rs. 200/- = Rs. 1,83,000

देखभाल लाभः देखभाल हेतु ब्यय की प्रतिपूर्ति की गणना उ चत दर नहीं मलने के कारण कया जाना संभव नहीं हुआ है।

वलंब हेतु अर्थदण्डः भुगतान कए गए 547 क्लेम मे भर्ती करने के दिन के पश्चात 15-30 दिन की अव ध नियमानुसार कम करने के पश्चात 1-2 माह का वलंब हुआ था।

@1% X रु. 110.66 लाख = रु. 1.10 लाख

बकाया दावों की राशीः रु. 28.16 लाख की अप्राप्त क्लेम की राशी के समस्त प्रकरणों मे बीमा कंपनी/टीपीए द्वारा क्वेरी 15 दिन की बाद ही कया गया था। अतः समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पूर्ण रूप से रु. 28.16 लाख की राशी देय थी, परंतु इसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा एमओयू की शर्तो को नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है क बीमा कंपनी को प्रस्तुत क्लेम की धनरा श की गणना मे यात्रा लाभ, देखभाल लाभ एवं वलंब हेतु अर्थदण्ड शा मल नहीं कए जाने के कारण क्लेम की धनरा श वास्त वक धनरा श से कम थी। इस प्रकार रु. 28.16+1.83+1.10=31.09 लाख की हानि प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी को हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से क्लेम की गणना एमओयू मे उल्ले खत पैकेजेज़ से कम कए जाने के बारे मे पुछे जाने पर उत्तर मे मे बतलाया क त्रुटिवश गणना ठीक से नहीं की गई और संशो धत क्लेम प्राप्त करने हेतु टीपीए से पत्राचार कया जाएगा। क्लेम का भुगतान वलंब से करने की स्थिति मे बीमा कंपनी पर एमओयू के अनुसार अर्थदण्ड नहीं लगाए जाने के बारे मे इकाई ने अपने उत्तर मे कहा क पूर्व मे नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण अर्थदण्ड नहीं लगाया गया और अब अर्थदण्ड की वसूली का प्रस्ताव टीपीए को भेजा जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा अपने समझौते का पालन नहीं कए जाने, क्लेम पैकेज की गणना कम कए जाने एवं अर्थदण्ड नहीं लगाए जाने के कारण रु. 31.09 लाख की हानि के तथ्य को इकाई ने स्वीकार कया है।

उत्तर लेखापरीक्षा को पूर्णतया मान्य नहीं है क्यों क 31.07.2017 को एमओयू की अव ध समाप्त होने के बावजूद भी बिना निदेशालय से स्थिति स्पष्ट कए या बिना ल खत आदेश के बीमा कंपनी के पोर्टल पर 09.11.2017 तक कुल 214 क्लेम (रु. 11.81 लाख) डाले गए जब क अनुबंध के नवीनीकरण की कोई सूचना कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी। अतः एमओयू की शर्तों का उल्लंघन करते हुए रु. 28.16 लाख का क्लेम बीमा कंपनी ने निरस्त कया हैं और रु. 2.93 लाख के नुकसान दावों की त्रुटिपूर्ण गणना एवं नियमानुसार अर्थदण्ड नहीं लगाए जाने के कारण हुआ है। इस प्रकार कुल रु. 31.09 लाख की शुद्ध हानि राज्य सरकार को हुई है।

अतः मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अंतर्गत रु. 0.92 लाख की यात्रा लाभ मरीजों का नहीं दिये जाने एवं रू 1.10 लाख का अर्थदण्ड (penalty) नहीं लगाए जाने के साथ रु. 28.16 लाख की हानि (loss) का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो-(ब)</u>

प्रस्तर 02:- धनरा श **₹ 36.42** लाख के निष्प्रयोज्य साम ग्रयों की नीलामी न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक जिला च कत्सालय उत्तरकाशी के उपकरणों/साम ग्रयों सम्बन्धी लेखा-अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क वर्ष 2016 के मध्य क्रय कए गये कुल क्रय धनरा श ₹ 5,18,722/- के फर्नीचर/अन्य सामग्री (अनुलग्नक-A), एवं वाहन सं0 यूए007 बी 6285 वक्रय मूल्य ₹ 30,000/- निष्प्रयोज्य पाये गये थे। आगे, वर्ष 1999 से 2014 के मध्य कुल क्रय कए गये धनरा श ₹ 30,92,746/- के च कत्सा उपकरण (अनुलग्नक-**B**) अ क्रयाशील पाये गये थे जो तकनीकी खराबी होने के कारण निष्क्रिय पड़े हुये थे।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी प्रमुख अधीक्षक जिला च कत्सालय उत्तरकाशी ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क "उक्त सभी उपकरण/सामग्री बहुत पुराने एवं निष्प्रयोज्य हैं एवं उक्त उपकरणों/साम ग्रयों की नीलामी/सकनीकी खराबी को ठीक करने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर उक्त साम ग्रयों को और मूल्य ह्रास एवं वभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था। तकनीकी खराबी को ठीक करा कर जन मानस को होने वाली समस्याओं से बचाया जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो-(ब)</u>

प्रस्तर **0**3:- यूजर्स चार्जेज सम्बन्धित मूल अ भलेख एवं तुलन पत्र में धनरा श **₹ 12.26**/- लाख का अन्तर पाया जाना।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक जिला च कत्सालय उत्तरकाशी के यूजर्स चार्जेज सम्बन्धित लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में पाया गया क वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के तुलन पत्र में यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनरा श कुल ₹ 38,94,111/- एवं ₹ 41,09,682/- क्रमशः दर्ज कया गया है। जब क कार्यालय की यूजर्स चार्जेज सम्बन्धित लेखा-अ भलेखों में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त धनरा श कुल ₹ 42,23,018/- एवं ₹ 50,06,918/- है। इस प्रकार तुलन पत्र में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनरा श को क्रमशः ₹ 3,28,907/- एवं ₹ 8,97,236/- अंतर पाया गया है। उक्त अन्तर के सम्बन्ध कार्यालय द्वारा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया।

जिसका ववरण निम्नवत् है।

(₹)

वर्ष	यूजर्स चार्जेज संबं धत लेखा-अ भलेखों में प्राप्त धनरा श	तुलन पत्र में यूजर्स चार्जेज से प्राप्त धनरा श	अंतर
2015-16	4223018	3894111	328907
2016-17	5006918	4109682	897236
कुल योग	**9229936**	**8003793**	**1226143**

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी प्रमुख अधीक्षक जिला च कत्सालय उत्तरकाशी ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क "अन्तर का पता लगा कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क अन्तर का यथा शीघ्र पता कया जाना चाहिए था, जिससे की कसी घोर अनिय मतता से बचा जा सके।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो-(ब)</u>

प्रस्तर **04:-** धनरा श **₹ 7.99** लाख के औष धयों का अनिय मत क्रय कया जाना।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औष ध क्रय नीति वषय पर शासनादेश सं0-932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (च कत्सा अनुभाग-4) के बिन्दु सं0 11 में यह निर्दे शत कया गया था क "प्रत्येक नि वदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औष ध उसके निर्माण की ति थ से तीन माह से अ धक पुरानी नहीं होगी" एवं औष ध के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पै कंग प्रदर्शन पर "UKG सप्लाई", नॉट फार सेल इंडे लबल इंक से लखा जाना अनिवार्य होगा। औष धयों की पै कंग हेतु दिये गये स्पे श फकेसन ही मान्य होगा।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क उक्त नियमों के वपरीत इकाई द्वारा कुल ₹ 7,98,740/- (संलग्नक-A) मूल्य की ऐसी औष धयों का लगातार क्रय कया गया, जिनके भुगतानित वाउचर पर औष ध-निर्माता/फर्म द्वारा औष ध के निर्माण की ति थ (Manufacturing date) अं कत नहीं कया गया था, जिस कारण औष ध-निर्माता/फर्म द्वारा इकाई को तीन माह से कतनी अ धक पुरानी औष धयों की सप्लाई की गई थी, औष ध-निर्माता/फर्म के बिल के अनुसार ज्ञात कया जाना संभव नहीं था। निर्माण ति थ से जितनी अ धक पुरानी औष धयों का क्रय होगा, उसका उतने ही कम समय तक औषधालय में उपयोग हो सकेगा।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक जिला च कत्सालय उत्तरकाशी ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क भ वष्य में निर्धारित औष धयों का क्रय कया जायेगा एवं भ वष्य में बिना औष ध निर्माण ति थ के बिलों का भुगतान नहीं कया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क उत्तराखण्ड राज्य हेतु औष ध क्रय नीति वषय पर शासनादेश सं0-XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (च कत्सा अनुभाग-4) के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था।

अतः धनरा श ₹ 7.99 लाख के औष धयों के अनिय मत क्रय कये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो - ब

प्रस्तर 5:- अर्जित ब्याज रा श रु. **1.38** लाख राजकोष मे नहीं जमा कराया जाना

उत्तराखंड सरकार का शासनादेश संख्या-99/**xxvii(14)**/2009 दिनांक 03 सतंबर 2009 आदे शत करता है क समे कत नि ध से आहरित धनरा श पर अर्जित ब्याज रा श को राजकोष मे लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा कया जाय।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी के स्थापना की रोकड़-बही एवं संबन्धित अ भलेखों की नमूना जांच मे पाया गया क वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक बचत खाते मे रु. 1.38 लाख का ब्याज संक लत हुआ था। संक लत ब्याज नियमानुसार राजकोष मे जमा करा दिया जाना चाहिए था, परंतु यह ब्याज रा श कार्यालय के खातों मे अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

उपरोक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया क स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण ब्याज रा श को राजकोष मे जमा नहीं कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्यों क इस संबंध मे उत्तराखंड सरकार का शासनादेश स्पष्ट रूप से ब्याज प्राप्तियों को राजकोष मे जमा कराने हेतु निर्दे शत करता है।

अतः अर्जित ब्याज रा श रु. 1.38 लाख राजकोष मे नहीं जमा कराये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर 6: अन्य जनपद में सम्बद्वता के कारण रु0 58.30 लाख का अनियमित भुगतान।

महानिदेशक के पत्रांक स. 684/xxव111-3-2016-76/2015 दिनक 30.6.2016 के अनुसार समस्त वभागाध्यक्ष को यह आदे शत कया गया था की उनके वभाग मे कार्यरत का र्मको जो अन्य कार्यालयों मे सम्बद्ध है तत्काल प्रभाव से कार्यालय मे वापस बुलाया जाये। मुख्य च कत्सा अधीक्षक उत्तरकाशी की नवम्बर *2017* के वेतन बिल (Pay Bill) एवं उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया क निम्न लखत दो का र्मको 1. डा. एलेन संह 2, श्रीमती बबीता सैनी की उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं पायी गयी। इस प्रकार शासन के दिशा निर्देश का पालन नहीं कया गया जब क उनका वेतन जून 2016 से नवम्बर *2017* तक रु. 58.30 लाख आहरित कया गया, जिसका ववरण निम्नवत है :-

Name of Employear	Degnation	year	Gross Pay
Dr. Allan Singh	Medical Officer	6/2016—to 11/2017	5347119
Smt. Bbaita Saini	Staff Nurse	6/2016—to 11/2017	482960
			5830079

उपरोक्त प्रकरण की तरफ लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया क अन्य का र्मकों से कार्य लया जा रहा है और इनकी नियुक्ति मुख्य च कत्सा अ धकारी के माध्यम से की गई थी। उत्तर लेखा परीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्यों क कार्यालय मे स्वीकृत पद से कम संख्या मे का र्मकों के कार्यरत होने की स्थिति मे उनको कहीं और सम्बद्ध कया जाना तर्कपूर्ण नहीं था और शासनादेश के दिशा-निर्देशों के वपरीत था।

अतः अन्य जनपद में सम्बद्वता के कारण रु0 58.30 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 16.24 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार विशेष कार्य अधिकारी (फार्मेसी) का वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 5400 से उच्चीकृत कर वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 6600 संशोधित/उच्चीकृत किया गया था।

कार्यालय प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि छह का र्मक ऐसे थे जिनका वेतन 7600/- का न्यूनतम वेतन 21900/- पर निर्धारित कया गया एवं तीन का र्मक ऐसे थे जिनका वेतन 6600/- का न्यूनतम वेतन 18750 पर निर्धारित कया गया था जिनका ववरण निम्नवत है-

	देय वेतन		प्रदत्त वेतन		
नाम	वेतन	ग्रेड वेतन	वेतन	ग्रेड वेतन	आ धक्य वेतन
वक्रम संह	18660	7600	21900	7600	-3240
टी एस नेगी	19340	7600	21900	7600	-2560
वीरेंद्र संह पँवार	19390	7600	21900	7600	-2510
अनिल कुमार उनियाल	20290	7600	21900	7600	-1610
हेम संह रावत	20570	7600	21900	7600	-1330
वीरेंद्र संह	20610	7600	21900	7600	-1290
गौतम संह	15430	6600	18750	6600	-3320
अनिल पूरी	16040	6600	18750	6600	-2710
रत्ना मनी नौतियाल	17760	6600	18750	6600	-990
योग	168090		187650		-19560

इस प्रकार वेतन एवं भत्तों मे दिनांक 31.12.2013 से माह 11/2017 तक कुल 16.24 लाख का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण का र्मकों को भुगतान कया गया जिसका वस्तृत ववरण संलग्न है। इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क शासन के आदेश संख्या 41 दीनानाक 31.12.2013 के अंतर्गत कया गया है और प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाकर कार्यवाही/वसूली की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त शासनादेश के अंतर्गत उन का र्मकों को लाभ दिया जाना था जिनकी नियुक्ति 1.1.2006 के बाद सीधी भर्ती हुई थी।

अतः कुल 16.24 लाख का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण का र्मकों को अ धक भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **2:-** ई -भुगतान के धनरा श की प्र वष्टि रोकड़ बही में न कये जाने के संबंध मे।

शासन के पत्रांक सं - 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र वष्टि यथा स्थान पर करेंगे इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बं धत माह में कये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से व र्णत है क ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

प्रमुख अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी की स्थापना ब्यय की रोकड़बही की वस्तृत लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क चयनित माह मार्च 2016 मे रु. 199.02 लाख एवं सतंबर 2017 मे रु. 135.49 लाख की धनरा श का सकल ब्यय ट्रेजरी के माध्यम से कया गया था। ट्रेजरी के माध्यम से ब्ययित एवं Form BM- 5 (सीटीआर) मे अं कत कुल रू 335.41 लाख की सकल धनरा श को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने पाने उत्तर मे बतलाया क ज्ञात नहीं होने के कारण ई -भुगतान की धनरा श की प्र वष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई। उत्तर मान्य नहीं हैं क्यों क इस संबंध मे पूर्व मे ही आदेश निर्गत कए जा चुके थे।

अतः ई -भुगतान की धनरा श की प्र वष्टि रोकड़ बही में नहीं कए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
	–		–

इकाई द्वारा सूचत कया गया क पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है और विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन अनुपालन आख्या सीधे ही महालेखाकर (लेखा परीक्षा) कार्यालय को प्रेषत की जाएगी।

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i)
(ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i)
(ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 आर पी संह	**प्रमुख अधीक्षक**	23.09.2015 से 31.12.2015
2.	डा0 एस डी सकलनी	– तदैव –	01.01.2016 से 08.03.2016
3.	डा0 रवीद्र थप लयाल	– तदैव –	09.03.2016 से 13.05.2017
4	डा0 एस पी कु ड़याल	– तदैव –	14.05.2017 से 11.01.2017
5	डा0 बी एस रावत		12.01.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **प्रमुख च कत्सा अधीक्षक, जिला च कत्सालय, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.